न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/63
मिसल नम्बर– 16/2023

1.सुशीला जैन आयु 60 वर्ष पत्नि श्री ज्ञानचन्द जाति जैन निवासी 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.आकाश जैन आयु 45 वर्ष आत्मज स्व0 ज्ञानचंद जैन निवासी 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना कोटा
2.श्रीमती डोली जैन आयु 40 वर्ष पत्नि श्री आकाश जैन निवासी 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 28/2/25

उपस्थितिः–

1.श्री मेघराज सिंह शक्तावत अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री लोकेश कुमार सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2
3.अप्रार्थी नं0 1 स्वयं

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया बुजूर्ग है, शिक्षा विभाग से अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। प्रार्थीया के दो पुत्र विवाहित है। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थिया का पुत्र व अप्रार्थी कम 2 प्रार्थिया की पुत्रवधु है। प्रार्थीया की अचल सम्पति में एक मकान 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना, कोटा स्थित है, जो उसने स्वअर्जित कमाई से बनाया है। इस दो मंजिला मकान की जमीन का आवंटन नगर विकास न्यास कोटा से आवंटन हुआ तथा पट्टा जारी किया हुआ है। अप्रार्थीगण को विवाह के उपरान्त इस परिसर के ग्राउण्ड फलोर के दो कमरो में निवास हेतु दिया था, लेकिन कुछ समय उपरान्त अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थिया के प्रति खराब हो गया, आये दिन प्रार्थिया से पैसो की मांग करते, न देने पर प्रार्थिया के साथ शरीरिक व मानसिक दुर्यवहार कारित करने लगे। इस पर प्रार्थिया व परिजनो ने अप्रार्थीगण को समझाया, और अप्रार्थी कम 2 के कहने से पृथक से किराये का परिसर दिलाने को कहा, तब प्रार्थिया ने अपने नजदीकी महावीर नगर कोटा मे किराये से परिसर अप्रार्थीगण को दिलाया, जिसका किराया 7000,00 तय हुआ जिसे अप्रार्थीगण प्रार्थिया से प्राप्त कर रहे है। इसके अलावा खर्चे के रूप में हर माह 8 हजार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रूपया देती आ रही है। रहने के दौरान प्रार्थिया के पास हर समय पैसो के लिए दबाव डालने लगे तथा कहने लगे कि हमे रूपया दो, प्रार्थिया ने उन्हे समझाया कि वह हर समय मदद करती रही है, आप किराया के परिसर मे निवास करते रहे, प्रार्थिया किराया वहन करेगी। इस पर अप्रार्थीगण दिनांक 14.02.2023 को प्रार्थिया के निवास स्थान पर आये, गाली गलोच करने लगे, ग्राउण्ड फलोर के दो कमरो पर जबरन कब्जा कर रहने लग गये, प्रार्थिया के साथ झगडा किया, मारा पीटी की, प्रार्थिया का दूसरा पुत्र समझाने हेतु आया तो उसके साथ की गाली गलोच की, जान से मारने की धमकी दी, अप्रार्थी क्रम 2 ने धमकी दी कि वह झूठे केस मे उसे फंसा देगी,जमानत नही होने देगी, प्रार्थिया ने काफी समझाया लकिन कुछ नही सुनी , प्रार्थिया ने उनसे कहा कि जब तुम्हे किरायेका परिसर दिलाया हुआ है, किराया भी वह वहन कर रही है,तब तुम्हे इस प्रकार जबरन मकान के ग्राउण्ड फलोर के कमरो पर कब्जा करने, झगडा फसाद करने का अधिकार नही है। इस घटना की सूचना प्रार्थिया ने एस०पी0 कोटा शहर को प्रार्थना पत्र के माध्यम से दिनांक 15.02.2023 को दी, इसके पूर्व 30.01.2023 को ए0डी0एम0 सिटी कोटा के यहां धारा 107.116(3) जा०फौ० आवेदन दिया, जिस पर एस0पी० कोटा ने थाना महावीर नगर को उचित कार्यवाही करने को आवेदन प्रेषित किया, लेकिन उस पर भी कार्यवाही नही की गई। इसके पूर्व में जिला कलेक्टर कोटा, एस०एच0ओ० महावीर नगर को आवेदन दिये गये, लेकिन उस. पर भी कार्यवाही नही की गई। जब कि प्रार्थिया वरिष्ठ नागरिक है, सम्भ्रान्त परिवार की महिला है। अप्रार्थीगण कोई भी अप्रिय घटना कारित कर शान्ति भंग कर सकते हैं। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से मकान नं0 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना, कोटा मे अप्रार्थीगण द्वारा ग्राउण्ड़ फलोर पर दो कमरो पर किये जबरन कब्जे को हटवा कर उन पर दखल प्राप्त कर सके, अप्रार्थीगण को शान्ति भंग न करने के लिए पाबन्द करवा सके, जिसके लिए अन्य विकल्प न होने से यह वाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर विनय हे कि अप्रार्थीगण से मकान 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना, कोटा के ग्राउण्ड फलोर के दो कमरो पर किये गये अवैध कब्जे को हटा कर प्रार्थिया को उन पर दखल दिलाया जावे, तथा अप्रार्थीगण को शान्ति बनाये रखने, झगडा फसाद न करने हेतु समुचित जमानत मुचलको से पाबन्द फरमाया जावे। अन्य जो न्योचित सहायता हो दी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की अनुसार प्रार्थना अनुसार प्रार्थीया को सिविल वाद सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिये आथ्र प्रार्थना पत्र गलत, मनगढंत एवं बनावटी रूप से व बनावटी तथ्यों के आधार पर बिना ठोस प्रमाण के पेश किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीया नं0 2 व उसकी संतानों को जबरन मकान नं0 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना कोटा से बाहर प्रताडित कर निकाल रखा है। जो वर्तमान में उक्त मकान में नही रह रहें है। उक्त मकान में प्रार्थीया व उसका छोटा पुत्र विकास जैन व उसकी पत्नि स्मिता जैन व उसके उसके दो पुत्र रह रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की

प्रार्थना अप्रार्थीगण को 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना कोटा के ग्राउण्ड फ्लोर के दो कमरों को खाली कर कब्जा दिलाने की है, उक्त मकान 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना कोटा के ग्राउण्ड फ्लोर के दोनो कमरों को अप्रार्थीगण लगभग 2 वर्ष पूर्व खाली कर प्रार्थीया को कब्जा सम्भला चुके है। इस कारण उक्त वाद को चलाये जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रकरण का निस्तारण किया जावें। प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थीगण की ओर कमरों को खाली कर कब्जा प्रार्थीया को सम्भला दिया है जिस कारण से प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहते है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा मकान 2 एच 34 महावीरनगर विस्तार योजना, कोटा के ग्राउण्ड फलोर के दो कमरो पर किये गये अवैध कब्जे को हटा कर प्रार्थिया को उन पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो कमरों को खाली कर कब्जा प्रार्थीया को सम्भला दिया गया है जिस कारण से प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उक्त निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा